

दिल्ली विधान सभा सचिवालय
समाचार भाग-2

॥ विधात्री तथा अन्य मामलों से सम्बन्धित सामान्य जानकारी ॥
सोमवार, 23 दिसम्बर, 1996 / पौष 2, 1918 ॥शके॥

संख्या : 308

सदस्यों की नज़रबंदी एवं रिहाई

माननीय अध्या, दिल्ली विधान सभा को सम्बोधित अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त, नई दिल्ली जिला-2, नई दिल्ली का दिनांक 13.12.1996 का निम्नलिखित सूचना प्राप्त हुआ :-

"मुझे आपको ससम्मान सूचित करना है कि दिल्ली विधान सभा के माननीय सदस्य श्री जग प्रवेश चन्द्र, श्री मतोन अहमद, श्री दीप चन्द बन्धु, श्रीमती ताज़दार बाबर एवं श्रीमती कृष्णा तोरथ को उनके अन्य समर्थकों सहित आज अर्थात् दिनांक 13.12.96 को अपराह्न 12.05 बजे, संसद मार्ग, नई दिल्ली से पुलिस के विधिसम्मत निर्देशों को अवज्ञा करने के कारण दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 की धारा 65 के अन्तर्गत नज़रबंद किया गया ।

उन्हें उसी दिन अर्थात् दिनांक 13.12.96 को अपराह्न 12.10 बजे वहीं से रिहा कर दिया गया ।"

पो. एन. गुप्ता
सचिव

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT

BULLETIN PART - II

(General information relating to Legislative & other matters)

Monday, December 23, 1996/ Pausha 02, 1918 (Saka)

No. 308

DETENTION AND RELEASE OF MEMBERS

The following message dated 13.12.96 addressed to Hon'ble Speaker, Delhi Vidhan Sabha was received from the Addl. Dy. Commissioner of Police, New Delhi Distt.-II, New Delhi :-

" I have the honour to inform you that Shri Jag Parvesh Chandra, Shri Matin Ahmed, Shri Deep Chand Bandhu, Smt. Tajdar Babar and Smt. Krishna Tirath, Hon'ble Members of Legislative Assembly, Delhi alongwith their other supporters were detained under section 65 of Delhi Police Act, 1978 for disobeying the lawful directions of police from Parliament Street, New Delhi at 12.05 hours today i.e. 13.12.1996.

They were released at 12.10 hours from same place, the same day i.e. 13.12.1996."

P.N. GUPTA
SECRETARY